प्रेषक

डा0 राम चन्द्र शुक्ल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 27 मई, 2021**

विषय:- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी के अन्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-अभि0/30/एस0एम0ए0एम0-लेखा/2020-21/लखनऊ, दिनांक 26.04.2021 एवं पत्र सं0- अभि0/29/एस0एम0ए0एम0-लेखा/2020-21/लखनऊ,41 दिनांक 26.04.2020 के क्रम में पत्र सं0-अभि0/39/एस0एम0 ए0एम0-लेखा/2020-21/लखनऊ, दिनांक 13.05.2021 एवं पत्र सं0- अभि0/09/एस0एम0ए0एम0-लेखा/2020-21/लखनऊ, दिनांक 09.05.2021 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में अनुदान सं0-11 के अन्तर्गत 2014.29 तथा अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत रू0 2035.76 लाख, इस प्रकार कुल 4050.05 लाख की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों/प्रतिबंधो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि लाख रू0 में

लेखाशीर्षक	मानक मद	वित्तीय वर्ष **2021-22** में **NMAET** योजना में उपलब्ध प्राविधान	**SMAM** हेतु उपलब्ध प्राविधान	प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति **(कें0 60)**
अनुदान सं0-11 के लेखशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी के सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मिशन।	27-सब्सिडी	20110.61	16353.00	1993.80
	42-अन्य व्यय	10026.32	270.00	20.49
	योग	**30136.93**	**16623.00**	**2014.29**
अनुदान सं0-83 के लेखशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जतियों के लिए विशेष घटक-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0105-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी के अन्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन	27-सब्सिडी	5342.35	4347.00	2000.48
	42-अन्य व्यय	1877.99	70.20	35.28
	योग	**7220.34**	**4417.20**	**2035.76**
	महायोग	**37357.27**	**210440.2**	**4050.05**

(रू0 चालीस करोड पचास लाख पांच सौ मात्र)

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तथा भारत सरकार से सहमति के अनुरूप किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव के अनुरूप भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

4- प्रस्ताव में उल्लिखित आकड़ों की शुद्धता/केन्द्रांश की उपलब्धता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। उक्त लेखाशीर्षक के मानक मद में पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किया जाएगा। प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही इसका मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालाजी के अन्तर्गत संचालित सब मिशनों की अद्यतन गाइड लाइन तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार ही किया जाएगा।

7- यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही ये कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति नहीं न हो।

8- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों सहित मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी शासनादेश का पालन प्रत्येक दशा में कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

9- अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा।

10- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/14, दिनांक 22.7.2014 में निहित शर्तो तथा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस- 2014-10-77, दिनांक 26.8.2014 के प्रस्तर-5 एवं 9 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित कराया जायेगा।

11- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर मासिक/त्रैमासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति सहित शासन/भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी । कृषि निदेशक द्वारा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

12- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर कोई भी धनराशि बैंक खाते में नही ंरखी जाएगी, यदि ऐसा प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

13- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

14- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थियों के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011/58/2013-डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अत: स्वीकृत धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय। पात्र कृषकों को अनुदान का भुगतान उपरोक्तानुसार तत्काल सुनिश्चित किया जाये। इसमें किसी प्रकार की अक्षमता/लापरवाही अक्षम्य होगी।

15- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभाार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु मुख्यालय/जनपद स्तर के संबंधित परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

16- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2020/बी-1 -149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0-5/2020/बी-1-196/दस- 2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/ 2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 तथा शासनादेश सं0-3/2021/बी0-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 के निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0-5/2020/ बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 एवं शासनादेश सं0-3/2021/बी0-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रामचन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

सं0-2/2021/649(1)/12-3-2021-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
7- अपर कृषि निदेशक (प्रसार), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- सम्बन्धित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
10- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
11- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
13- शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
14- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 रामचन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है